682वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 26 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 682वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 10096/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Daheriya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 54/3), Village-Daheriya, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का पूर्व में समिति की 667वीं बैठक दिनांक 08/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाऊन स्टीम में 395 मीटर पर एक मेजर ब्रिज लगभग 1.50 कि.मी. पर परिलक्षित होता है, जिसके ऊपर से कैनाल भी परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण सिया की 805 वीं बैठक दिनांक 06/09/23 के संदर्भ में प्रकरण का पुनः परीक्षण **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत किया गया जिसमें निम्नानुसार स्पष्ट की गई हैः–**

खदान का कुल क्षेत्र–4.0 हे.खनन योग्य क्षेत्र 1.14 हे.

- मेजर ब्रिज 1.33 कि.मी
- रेल्वे ब्रिज 1.16 कि.मी.
- केनाल 361 मी.

अतः प्रकरण को **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार अनुशंसा एवं गाईडलाईन में दिये गये मापदंडो के अनुसार अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है। अतः समिति पूर्व में की गई अपनी अनुशंसाओं को यथावत रखती है।

2. **Case No 10163/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mauhari Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 459), Village-Mauhari, Tehsil-Jaithari, District-Anuppur (M.P.).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mauhari Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 459), Village-Mauhari, Tehsil-Jaithari, District-Anuppur (MP)		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	459, ग्राम – मौहरी, तहसील – जैतहरी, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	5.00 हेक्टेयर	शासकीय

परियोजना की श्रेणी(बी–1 / बी–2)	बी–2 श्रेणी,
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 90,000 घनमीटर / वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 90,000 घनमीटर / वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23 / 05 / 2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत– मौहरा, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र क्रमांक **04** दिनांक **15 / 08 / 2017** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **18** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–90,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 90,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च एंव अप्रैल माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल इमेज के अनुसार खदान के पास वन क्षेत्र प्रतीत हो रहा है। अतः वन मंडलाधिकारी से इसकी पुष्टि कराकर प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 671वीं बैठक दिनांक 24 / 08 / 2023 को चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 26 / 09 / 23 को रखा

गया है, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री ईशा वरमन, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1580 दिनांक 26/09/2023 के द्वारा भी सूचित किया कि रेत खदान ग्राम मोहरी, तह. जैतहरी जो कि विगत वर्षो से स्वीकृत होकर संचालित रही है, संचालन पश्चात उकत खदान की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा समिपस्थ वन हेतु एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें खदान से वन सीमा 250 मी. से अधिक है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.54 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.32 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम छुल्कारी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी		1,36,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनबाडी केन्द्र मझगवां की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	1,00,000
कुल	2,36,00

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000.वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1050
2	ग्राम मौहरी के ग्रामवासियों	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम,	4950

	में वितरण हेतु	नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
		कुल	6000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 10118/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Khandasa River Sand Quarry in an area of 2.40 ha. (23760 cum per year) (Khasra No. 513), Village-Khandasa, Tehsil-Kurai, District-Seoni (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 669वीं बैठक दिनांक 10/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 805 वीं बैठक दिनांक 06/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान क्षेत्र के डाऊन स्टीम में 187 मीटर पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार रपटा ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित

कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला – सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा बताया गया कि रेत खदान के डाउन स्टीम पर लगभग 250 मी. पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है। खदान का निरिक्षण खनिज विभाग के द्वारा किया गया है। चिन्हाकिंत रेत खदान से ब्रिज को प्रभाव पडने की संभावना नहीं है। तथा खनिज राजस्व की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये रेत की आपूर्ती एवं रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन न हो इस हेतु रेत खदान संचालित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रकरण सिया की 805 वीं बैठक दिनांक 06/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया जिसमें प्रकरण को Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार अनुशंसा एवं गाईडलाईन में दिये गये मापदंडो के अनुसार अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है। अतः समिति पूर्व में की गई अपनी अनुशंसाओं को यथावत रखती है।

4. Case No 10103/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Gogawa Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (8000 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Gogawa, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 667वीं बैठक दिनांक 08/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाऊन स्टीम में 395 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया प्रकरण को **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार अनुशंसा एवं गाईडलाईन में दिये गये मापदंडो के अनुसार अनुशंसा समिति द्वारा की पुनः की जाती है। अतः समिति पूर्व में की गई अपनी अनुशंसाओं को यथावत रखती है। **सिया यदि तकनीकी परीक्षण चाहती है तो एम.ओ से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में निर्णय लिया जा सकता है।**

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया जिसमें **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत किया गया जिसमें निम्नानुसार स्पष्ट की गई हैः–**

- खदान का कुल क्षेत्र–4.0 हे.
- खनन योग्य क्षेत्र 0.95 हे.
- गैर खनन योग्य क्षेत्र 3.05 हे.
- पाईपलाईन पूर्व में 278 मी.
- ओल्ड रोड़ ब्रिज– 290 मी. हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में 500 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।
- रेल्वे ब्रिज 1.16 कि.मी.
- केनाल 361 मी.

अतः प्रकरण को Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार अनुशंसा एवं गाईडलाईन में दिये गये मापदंडो के अनुसार अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है। अतः समिति पूर्व में की गई अपनी अनुशंसाओं को यथावत रखती है।

5. **Case No 10116/2023 Shri OMKAR DUBEY, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Chimnakhari-Takhlakhurd River Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (5670 cum per year) (Khasra No. 732, 406), Village-Chimnakhari-Takhlakhurd, Tehsil-Barghat, District-Seoni (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 669वीं बैठक दिनांक 10/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 805वीं बैठक दिनांक 06/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान क्षेत्र के डाऊन स्टीम में 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/09/23 को परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक श्री ओमकार दुवे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री आर. के खातरकर, खनिज अधिकारी, जिला–सिवनी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के आधार पर किया गया । **प्रस्तावित खनन क्षेत्र रपटा अपस्ट्रीम में स्थित है। सेंड गाइर्ड लाईन के अनुसार अप स्ट्रीम 250 मी की दूरी तक प्रतिबंध का प्रावधान है। पी.पी द्वारा 10/08/2023 को प्रस्तुत प्रकरण में स्थानिय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 600 मी दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र सरफेस प्लान में है। अतः पूर्व में प्रस्तावित प्रकरण पर पुनः विचार किया गया जो यथावत रखा जावेगा। सिया द्वारा मेजर ब्रिज का उल्लेख किया गया जबकि यह छोटी संरचना है। प्रस्तुतीकरण के दौरान** खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा बताया गया कि रेत खदान के अपस्टीम पर लगभग 600 मी. पर एक रपटा ब्रिज परिलक्षित है। खदान का निरिक्षण खनिज विभाग के द्वारा किया गया है। चिन्हाकिंत रेत खदान से ब्रिज को प्रभाव पडने की संभावना नहीं है। तथा खनिज राजस्व की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये रेत की आपूर्ती एवं रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन न हो इस हेतु रेत खदान संचालित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः समिति पूर्व में की गई अपनी अनुशंसाओं को यथावत रखती है। सिया यदि तकनीकी परीक्षण चाहती है तो एम.ओ से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में निर्णय लिया जा सकता है।

6. **<u>Case No 10145/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Kathora Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 107/3), Village-Kathora, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)</u>**

प्रस्तावित खदान का समिति की 667वीं बैठक दिनांक 08/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 10120/23) रकबा 3.00 हे. की परिलक्षित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल 7.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के आधार पर दोनो प्रकरणों (10145 एवं 10120) का पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के अनुसार दोनो खदानों के बीच की दूरी लगभग 412 मी. आ रही है, अतः यह बी–1 श्रेणी का प्रकरण होना परिलक्षित है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्ट्या त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन दोनो प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनो प्रकरणों में पर्यावरणीय सलाहकार एक ही है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टिकरण लिया जावें। दोनो प्रकरणों (प्रकरण क्रमांक 10145/2023 एवं प्रकरण क्रमांक 10120/2023) में एकल प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया दोनो ही प्रकरणों मे 500 मी. की दूरी पर कोई खदान होना नहीं दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि माईनिंग अफसर द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया। अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे।

7. **Case No 10120/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Makadkheda Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 4/1), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 667वीं बैठक दिनांक 08/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्रमांक 10145/23) रकबा 3.00 हे. की परिलक्षित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल 7.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 26/09/23 सेक की 682 मीटिंग में पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु ऐजेण्डे में रखा गया बैठक में परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री सांवत सिंह चौहान, खनिज अधिकारी, जिला – खरगोन समिति के समक्ष उपस्थित थे।

उपरोक्त प्रकरण सिया की 804वीं बैठक दिनांक 05/09/23 के संदर्भ में पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के आधार पर दोनो प्रकरणों (10145 एवं 10120) का पुनः परीक्षण किया गया, गूगल ईमेज के अनुसार दोनो खदानों के बीच की दूरी लगभग 412 मी. आ रही है, अतः यह बी–1 श्रेणी का प्रकरण होना परिलक्षित है। उपरोक्त संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दृष्ट्या त्रुटी पाई जाये तो उसका निराकरण तत्समय किया जा सके, अतः इन दोनो प्रकरणों को बी.1 श्रेणी कर माना जाये। चूँकी दोनो प्रकरणों में पर्यावरणीय सलाहकार एक ही है। अतः इस विषय में संबंधित जिले के माईनिंग के अधिकारी से स्पष्टिकरण लिया जावें। दोनो प्रकरणों (प्रकरण क्रमांक 10145/2023 एवं **प्रकरण क्रमांक 10120/2023) में एकल प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया दोनो ही प्रकरणों मे 500 मी. की दूरी पर कोई खदान होना नहीं दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि माईनिंग अफसर द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया। अतः समिति का यह भी निर्णय संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष के संज्ञान में सिया स्तर से लाया जावे।**

8. Case No 10148/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (24768 cum per year) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 10/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, ,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला–दतिया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (24768 cum per year) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [430744].		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	765, 2222 ग्राम – रूहेरा, तहसील – सेवढ़ा, जिला–दतिया (म.प्र.),	4.60 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सिंध नदी** में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एंव उत्तरी भागों की दूरी क्रमशः 850 एंव 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा । अतः 2.53 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.06 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 24,768 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 24,768 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति /LOI details.	पत्र क्र0. रेत /2023–24/नस्ति क्र0. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.60 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र		

राजस्व जानकारी	क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत रूहेरा, जिला – **दतिया** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक **05** दिनांक **14/04/2018** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **14** के सरल क्रमांक – **06** पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– 24,768 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24,768 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रकरण सिया की 805 वीं बैठक दिनांक 06/09/23 की बैठक में उल्लेख किया गया है कि डाउन स्टीम में 187 मी. पर रपटा/ब्रिज हैं । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार रपटा ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 26/09/23 को रखा गया है, बैठक में परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला–दतिया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि यह खदान **सिंध नदी** में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एंव उत्तरी भागों की दूरी क्रमशः 850 एंव 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा । अतः 2.53 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.06 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में किया गया है।

Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 22 **के पैरा एच में ब्रिज आदि संरचनाओं के लिये निर्धारित दूरी हेतु 03 विकल्प दिये हुये है जिसे कमेटी को निर्णय लिया जाना है ब्रिज से दूरी 850 मी. पाई गई संबंधित पैरा में कमेटी द्वारा दिये गये विकल्पों में से इस प्रकरण विशेष में नदी की चौडाई को ध्यान में रखते हुये ब्रिज के चौडाई के 5 गुना चौडाई तक प्रतिबंधित किये जाने डाउन स्टीम साईड की दिशा में निर्मित ब्रिज से दूरी 850 मी हैं**

अतः पूर्व में जो बैठक दिनांक को निर्णय हुआ था ब्रिज के बाये क्षेत्र के अपस्टीम साईड में 1 कि.मी दूरी में अनुशंसा नही की गई थी उक्त खनन क्षेत्र में उत्तरी भाग में किये जाने की अनुशंसा की गई थी 187 मी की दूरी पर कोई संरचना नहीं पाई गई।
अत समिति ने निर्णय लिया कि कमेटी द्वारा बैठक क्रमांक 669 दिनांक 10/08/2023 **को की गई अनुशंसा को यथावत रखती है।**

9. **Case No 10536/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. at Khasra No. 95, Village-Kauakheda, Tehsil- Chand, District- Chhindwara (M.)**

परियोजना प्रस्तावक श्री S**hri JITENDRA CHANDEL** श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 26/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार छिंदवाड़ा जिले के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक 43 के सरल क्रमांक–5 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान पेंच नदी पर ग्राम Kauakheda, के निकट 2.00 हे. क्षेत्रफल पर रेत 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील(स्टापडेम–331 मी.) पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3840 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.24 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Kauakheda	6,500

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	460
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1040

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No 10075/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Thakra Sand Mine in an area of 2.40 ha. (38880 cum per year) (Khasra No. 969), Village-Tharka, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 803वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से 20 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन

फॉर सेंड, 2020 अनुसार मानव बसाहट से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 26/09/2023 को रखा गया है, परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि म.प्र खनिज गौंण अधिनियम नियम 1996 पैरा5(2)"घ" के अनुसार एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार मानव बसाहट का कोई जिक्र नहीं है । जैसा कि सिया के द्वारा सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2020 का उल्लेख किया है।

म.प्र खनिज गोण अधिनियम नियम 1996 5(2) "घ" में स्पष्ट में उल्लेख है कि *खनिज रेत व बजरी के सिवाय नदी के किनारों, जलाशयों, नहरों बांधों कोई प्राकृतिक जलमार्ग या जल रोकने वाली संरचना से 100 मी. की दूरी के भीतर तथा नाले से 50 मी. की दूरी के भीतर।* यदि 100 मी दूरी तक क्षेत्र प्रतिबंधित किया जाता है तो पूरा खनन् क्षेत्र प्रतिबंधित होगा जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में लगाातार रेत जमाव के परिणाम स्वरूप नदी अपने रास्ते में बदलाव लायेगी इसके परिणाम स्वरूप बसाहट क्षेत्र में भूमि कटाव क्षेत्र बडेगा व कृषि भूमि क्षेत्र में डूब क्षेत्र भी बडेगा।
सेंड गाईडलाईन रूल 2020 का उल्लेख किया गया है, गाईडलाईन का अवलोकन किया गया, जिसमें मानव बसाहट से निर्धारित दूरी तक खनन् प्रतिबंधित रहेगा के विषय में उक्त गाईडलाईन के पेज न. 21 से पेज न. 26 तक जो माईनिंग प्लान एवं उसके अनुमोदन हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। मानव बसाहट हेतु उक्त गाईड लाईन में नहीं किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र से खनन् क्षेत्र से 20 मी. देर है साथ ही खनन् क्षेत्र से नदी की ओर जैसा कि गाईडलाईन के पेज न. 24 पैरा आर में उललेख किया गया है 7.50 मी में प्रतिवबंध दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त दोनो तथ्यो को देखतें हुये समिति की अनुशंसा पूर्वत यथावत रहेगी।

11. **Case No. 10016/2023 Shri Ravindra Mishra, Authorized Person, R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Musamundi Ryt-2 Sand Mine in an area of 3.00 ha. (9000 cum per year) (Khasra No. 54), Village - Musamundi Ryt, Tehsil-Bajag, District- Dindori (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पर्वत मुंच्छाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र.

प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी, जिला – डिण्डोरी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	**Shri Ravindra Mishra, Authorized Person, R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,** Prior Environment Clearance for Musamundi Ryt-2 Sand Mine in an area of 3.00 ha. (9000 cum per year) (Khasra No. 54), Village - Musamundi Ryt, Tehsil-Bajag, District-Dindori (MP) [433317].		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	54, ग्राम – मूसामुण्डी रैयत–2, तहसील – बजंग, जिला – डिण्डोरी (म.प्र.),	3.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी–1/बी–2)	बी–2 श्रेणी Sand Mine		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	**नर्मदा नदी**		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 9,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और खनन् योजना अनुसार **रेत – 9,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु अनुमोदित है।		
सैंधातिक सहमति/LOI	पत्र क्र0. एफ. 19–2–2019–बारह– 1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 774 दिनांक 21/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 774 दिनांक 21/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 774 दिनांक 21/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मूसामुण्डी, जिला – **डिण्डोरी** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक **37** दिनांक **28/01/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - निरंक
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	यह खदान **नर्मदा नदी** में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक **द्वारा बताया गया कि खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग की जावेगी।**
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **73** के सरल क्रमांक – **06** पर दर्ज है । जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– 37,800 घनमीटर प्रतिवर्ष उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:–

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के कोर्डीनेट्स से निर्मित के.एम.एल. इमेज का क्षेत्रफल 0.91 हेक्टे. है जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की संबंधित तालिका मे खदान का क्षेत्र 3.00 हे0. दर्शाया गया है इस संबंध में खनिज अधिकारी से वास्तविक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के कोर्डीनेट्स से निर्मित के.एम.एल. इमेज का आकार त्रिभुजाकार बन रहा है जबकि माइनिंग प्लान के कोर्डीनेट्स से निर्मित के.एम.एल. आकार पूर्णतः भिन्न है। अतः खनिज अधिकारी से वास्तविक जानकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार सुधार उपरांत प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 26/09/23 को रखा गया है, श्री पर्वत मुंच्छाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, लखनऊ, उ.प्र प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी, जिला – डिण्डोरी समिति के समक्ष उपस्थित थे। प्रस्तुतीकरण के दोरान खनिज अधिकारी, **द्वारा अक्षांश और देक्षांश में परिवर्तन कर प्रस्तुत किया है एवं अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 9,000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.40 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.16 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम पंचायत मुसामुण्डी रैयत के भाासकीय स्कूल में बच्चों के लिए किताबो एवं स्टे ानरी का वितरण किया जावेगा ।	16,000 ⁄ –

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास एंव स्थानीय घास	300
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	200
		6 पंक्ति – गूग्ल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	500
2	ग्राम– दिवारी माल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, ऑवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2500
	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए ऑवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस

पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No. 10535/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Rajakhoh Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (5760 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Raja Khoh, Tehsil-Chhindwara, District-Chhindwara (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/9/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri JITENDRA CHANDEL**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री रविन्द्र परमार खनिज अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Rajakhoh, Tehsil- Chhindwara, District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पेच नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा है। खनिज अधिकारी ने बताया कि मार्च–मई में नदी का यह भाग सुख जाता है, और खनन के लिये उपलब्ध होता है।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–5760 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–.5760 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाडा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 330 दिनांक 03 / 03 / 2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपला केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्रमांक 330 दिनांक 03 / 03 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 330 दिनांक 03 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजाखोह जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14 / 11 / 2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 5760 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.45 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.45 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 7500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Rajakhoh	7,500

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम ....वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	790
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1210

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेंSTAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
  परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. <u>Case No 10114/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Bhairoghat Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 98), Village-Bhairoghat, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 803वीं बैठक दिनांक 25/08/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान से अपस्ट्रीम में

360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेवल सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 तथा इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन फॉर सेंड, 2020 अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 26/09/2023 को रखा गया है, परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।
समिति ने परीक्षण उपरांत पाया की **रपटा / स्टाप डेम से नदी के बहाव क्षेत्र से 500 मी. दूरी नापने पर कुल क्षेत्र 2.00 हे. मे से 0.99 हे. प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया गया है। खनन योग्य क्षेत्र 1.01 हे. उक्त पोटेन्सियल का सेण्ड रूल अनुसार 60 प्रतिशत किये जाने पर सेण्ड गाईड लाईन के अनुसार रेत की उपलब्ध मात्रा 4242 क्यू मी होती है माईनिंग अफसर द्वारा रेत उपलब्धता के संबंध में भी पुष्टी की परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4000 क्यू मी. मांग की गई है जो समिति द्वारा मान्य की जाती है एवं पर्यावरण स्वीकृत की अनुशंसा की जाती है।**

14. Case No 10170/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Venkatnagar Kadamsara Sand Mine in an area of 3.812 ha. (68,616 cum per year) (Khasra No. 178, 1033, 1040), Village-Venkatnagar, Tehsil-Jaithari, District-Anuppur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ. प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Venkatnagar Kadamsara Sand Mine in an area of 3.812 ha. (68,616 cum per year) (Khasra No. 178, 1033, 1040), Village-

	Venkatnagar, Tehsil-Jaithari, District-Anuppur (MP) [434677]		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	178, 1033, 1040, ग्राम – व्यंकटनगर, तहसील – अनूपपुर, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	3.812 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **तिपान (अलान) नदी** में स्थित है, खदान मे से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 1.52 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2. 28 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 68,616 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 68,616 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.812 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **11/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **12** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–68,616 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 68,616 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च एंव अप्रैल माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान

गूगल इमेज के अनुसार खदान के पास वन क्षेत्र प्रतीत हो रहा है। अतः वन मंडलाधिकारी से इसकी पुष्टि कराकर प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 671वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 को चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 26/09/23 को रखा गया है, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री ईशा वरमन, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।
प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1579 दिनांक 26/09/2023 के द्वारा भी सूचित किया कि रेत खदान ग्राम व्यकंटनगर, कदमसरा तह. जैतहरी जो कि विगत वर्षो से स्वीकृत होकर संचालित रही है, संचालन पश्चात उकत खदान की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.32 लाख प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.92 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकटनगर के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	1,00,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र वेंकटनगर की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	80,000
कुल	1,80,00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4575.वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1075
2	ग्राम वेंकटनगर कदमसरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500
		कुल	**4575**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. <u>Case No 10172/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sitapur Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 13), Village-Sitapur, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

<table>
<tr><th>परियोजना विवरण</th><th colspan="3">परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज</th></tr>
<tr><td>परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता</td><td colspan="3">Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sitapur Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72000 cum per year) (Khasra No. 13), Village-Sitapur, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP) [434682]</td></tr>
<tr><td>परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल</td><td>13, ग्राम – सीतापुर, तहसील – अनूपपुर, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),</td><td>4.00 हेक्टेयर</td><td>शासकीय</td></tr>
<tr><td>परियोजना की श्रेणी</td><td colspan="3">बी–2 श्रेणी,</td></tr>
<tr><td>रेत प्रकरणों में नदी का नाम</td><td colspan="3">यह खदान सोन नदी में स्थित है, खदान में से नदी की धारा निकल रही है एवं अप स्ट्रीम में 290 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज स्थित है, सेटबेक छोडने के कारण 1.6 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.4 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।</td></tr>
<tr><td>उत्पादन क्षमता</td><td colspan="3">परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।</td></tr>
<tr><td>सैद्वांतिक सहमति</td><td colspan="3">पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.</td></tr>
<tr><td>परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण</td><td colspan="3">कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।</td></tr>
<tr><td>परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी</td><td colspan="3">कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी</td><td colspan="3">कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान /नाला इत्यादि स्थित नहीं है।</td></tr>
<tr><td>ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति</td><td colspan="3">मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – अनूपपुर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र 11/09/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।</td></tr>
<tr><td>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति</td><td colspan="3">परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 41 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 72,000</td></tr>
</table>

	घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:—

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 671वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 को चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 26/09/23 को रखा गया है। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.18 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित कार्य **भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक स्कूल, सीतापुर आबाद के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी		1,50,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र खमरिया कलां की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	35,000
कुल	1,85,00

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800.वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सीतापुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4800
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति			

/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. **Case No -10546/2023 Shri Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Karsuaraja Sand Deposit in an area of 1.00 ha. (7,446 cum per year) (Khasra No. -752), Village-Karsuaraja, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [435401].**

परियोजना प्रस्तावक श्री योधा उमरे श्री ए.के.राय, खनिज अधिकारी, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और द्वारा दिनांक 26/09/2023. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला सिंगरोली के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **कमांक 25 एवं सरल कमांक 39 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान **गर्रा नदी** मयार नदी की सहायक नदी पर ग्राम कर्सुआराजा के निकट **1.00** हे. क्षेत्रफल पर .... **7,446** घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 7,446 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.30.लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ऑगनवाडी केन्द्र-कर्सुआराजा, ग्राम कर्सुआराजा, तहसील-माडा में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम 8 में प्रदर्शित धन राशि महिला बाल विकाश अधिकारी, जिला सिंगरौली को व्यय करने हेतु भू-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग ऑफिसर को दी जायेगी।	20,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	ग्राम खर्सुआराजा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 10537/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय (कार्यालय भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.) in area of 1.00 ha. production 2400 Cubic Meter Per Annum at Khasra No 295, near Village- Gohachi, Tehsil- Basoda, District- Vidisha, (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री **RAJENDRA BAJPAI,** श्री वानखेडे खनिज निरिक्षक, जिला विदिशा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.

लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 23/09/2023. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला की के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **कमांक 37 के सरल कमांक–10 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान बेतवा नदी पर ग्राम Gohachi, के निकट 1.00 हे. क्षेत्रफल पर 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र डूबे होने की वजह से पुनरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया जिसके अनुसार 0.28 खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि रेत की मात्रा 2400 घनमीटर से घटाकर 1400 घनमीटर अनुशंसित किया जायें। परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.47 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरछा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	300

2	ग्राम गोहची के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No -10548/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Girwasa Old Sand Mine in an area of 1.672 ha. (15,048 cum per year) (Khasra No. 48), Village-Girwasa, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP) [440102].

परियोजना प्रस्तावक श्री रमाकांत पाण्डेय, श्री दिनेश सिंह., खनिज अधिकारी, **जिला – भिण्ड** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्राा, ऑनलाईन. मेसर्स क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 26/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – भिण्ड** के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक 19 के सरल क्रमांक 05 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान **सिंध नदी** पर .ग्राम गिरवासा के निकट **1.672** हे. क्षेत्रफल पर 15,048 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 15,048 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.0 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गिरवासा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर) (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर) (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर)	**60,000**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास एंव स्थानीय घास	300
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	150
		6 पंक्ति – गूग्ल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	90
2	**ग्राम– रूहेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया**	**1500**

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को

प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No -10550/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Muratpura Sand Mine in an area of 4.880 ha. (36,307 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Maratpura, Tehsil-Ron, District-Bhind (MP) [440285].

परियोजना प्रस्तावक श्री रमाकांत पाण्डेय, श्री दिनेश सिंह., खनिज अधिकारी, **जिला – भिण्ड** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्राा, ऑनलाईन. मेसर्स क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 26/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – भिण्ड** के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक 31 एवं सरल क्रमांक 50 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।
खदान **सिंध नदी** पर ग्राम मूरतपुरा के निकट **4.880** हे. क्षेत्रफल पर **36,307** . घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च से जून माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। इस संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 26/09/2023 भी प्रस्तुत किया गया। अतः परीक्षण उपरांत जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 36,307 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.12 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर किया जाये:–**

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मूरतपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर)	1,10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास एंव स्थानीय घास	500
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – गूग्ल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– मूरतपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No -10549/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail

Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Lagdua River Sand Mine in an area of 2.00 ha. (15,960 cum per year) (Khasra No. 185), Village-Lagdua, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP) [440348].

परियोजना प्रस्तावक श्री रमाकांत पाण्डेय, श्री दिनेश सिंह., खनिज अधिकारी, **जिला – भिण्ड** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्राा, ऑनलाईन. मेसर्स क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 26/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – भिण्ड** के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **कमांक 19 एवं सरल कमांक 07 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।
खदान **सिंध नदी** पर ग्राम लगदुआ के निकट 2.00 हे. क्षेत्रफल पर 15,960 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 15,960 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.02 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर** पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लगदुआ के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी। (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर) (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर) (भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर)	**60,000**

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

	स्थान		
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास एंव स्थानीय घास	250
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	150
		6 पंक्ति – गूग्ल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	**ग्राम– लगदुआ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया**	**1900**

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 10538/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय (कार्यालय भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.) Prior Environment Clearance for Dunatar Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 01), Village- Dunatar Kalan, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री **RAJENDRA BAJPAI** श्री वानखेडे, खनिज निरिक्षक, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 26/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार

जिला की अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ **क्रमांक–37 के सरल क्रमांक–4 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में** समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान.बेतवा नदी पर ग्राम Bawadia Kalan के निकट 1.00 हे. क्षेत्रफल पर 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.13 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य **भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर किया जाये:–**

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुरवई के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी **(भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर)**	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम दुनातर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।		

✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. **<u>Case No. 10168/2023 Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division, Mahuar Colony, District-Shivpuri, MP. Prior Environment Clearance for Sarkula Medium Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 320.262 ha. [8277 CCA] at 42 Villages in Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) . Dam Height 43.0 m , Length of the Dam (m) - 474.80 meters , Category 1(c).</u>**

This is a case of Prior Environment Clearance for Sarkula Medium Lift Irrigation Project an area of 8277 CCA ha. CCA at at 42 Villages in Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by the Shri Ravindra Bhatia Env. Consultant from R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. along with PP Shri Vinod Kumar Gupta , EE, Water Resources Division Shivpuri wherein PP submitted that the project has a command area of 8277 CCA ha. therefore as per EIA notification of September 2006 and subsequent amendment dated 14th August 2018, it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha)" and hence shall be appraised by SEIAA/SEAC, Madhya Pradesh.

PP further submitted that the Sarkula Medium Irrigation project has been planned to cater to the irrigation water requirement of Pohri tehsil of Shivpuri District, which are declared drought prone areas due to acute shortage of surface and ground water sources. The project proposes to construct a 43.0 m high dam across Sarkula River near Pohri village to create 32.985 MCM of gross storage of water for drinking and irrigation. It will serve a command of 8277 ha (CCA) spread over 42 villages in Pohri tehsil of Shivpuri district. Water will be

supplied by lifting from reservoir to distribution chamber through a 4.848 Km long Rising Main and thereafter it will be distributed in command by gravity. The PP stated that they have obtained stage II Forest Clearance vide no. I/ 38713/2023 dated 20.02.2023.

The salient features of the project are:

- Proposed dam is 474.80 m long Dam with a maximum height of 43 m.
- This being B2 project; Scoping Clearance and Public Hearing is exempt; Only Environment Management Plan needs to be prepared for appraisal.
- The project is planned by WRD, MP to provide irrigation & drinking water to Pohri tehsil of Shivpuri district.
- The project involves construction of a dam across Sarkula river, to create gross storage capacity of 32.985 MCM and live storage of 28.295 MCM.
- It will provide irrigation water to 8277 ha of CCA in 42 villages of Pohri tehsil of Shivpuri district.
- 2 MCM has been kept for drinking water.
- Families of other 9 villages will be losing their land due to submergence.
- Total of 42 families of the village will be displaced requiring resettlement and 3 families will lose their land.
- Kunopalpur WLS is at a shortest distance of 15.32 Km
- Total catchment area considered for present study is **131.25 sq km.**
- **Total catchment area – 13125.00 ha or Say 131.25 sq km.**
- Around 82% of the catchment area is prone to less than 1 tons/ha/annum soil erosion, termed as negligible soil erosion intensity class. While, around 0.69% is prone to severe and very severe soil erosion intensity class i.e. more than 80 tons/ha/annum.
- **As a part of Stage II Forest Clearance, DFO, Shivpuri vide his Letter No. D.M./2022/3380 dated 23/06/2022** raised demand of Rs. 19.66 Crore for Compensatory Afforestation (Rs. 6.84 Crore), NPV (Rs. 12.11 Crore) and CAT Plan (Rs. 71.45 Lakh).
- Forest Conservation Division (MoEFCC) has accorded Final/Stage-II Forest Clearance for 126.42 ha forest land vide letter no. 8-31/2021-FC dated 20/02/2023.
- An extent of 126.50 ha of Non-forest Land in Tonk village of Shivpuri tehsil, Shivpuri district lieu of 126.42 ha forest land has been proposed and approved towards Compensatory Afforestation.
- The cost of raising and maintaining the Compensatory Afforestation of Rs. 6,84,19,725/- at the prevailing wage as per Compensatory Afforestation Scheme

and Net Present Value (NPV) of the forest land of Rs 15,53,18,348/- have been deposited in the account of CAMPA through online Parivesh Portal.

- A total of 6556 trees have been enumerated by forest department, out of which 4351 trees are at FRl -4m, therefore about 2205 trees will be felled.
- A total of 12 ha of green belt will be developed
- Approximately 4800 trees will be planted, mainly on the periphery of the reservoir; additionally on panchayat land and also avenue plantation on approach road.
- Mainly Khair and Satrukha (Tendu, Saja, etc) have been identified as trees species in submergence area .

Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

1. Furnish details of CO_2 emission & quantification from all sources and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and submit.
2. As per command area map some habitation falling within it hence, submit study report regarding seepage of water toward the residential area outside of the submergence due to capillery action to avoid any water logging.
3. Location –wise plantation scheme with species and numbers.
4. Revised CER include proposal as library development in the primary/ middle / higher schools at villages in the nearby project area (include name of schools), and development or equipped nearby PHC with medical instruments &also include proposal for Aganwadies development wrt basic facilities etc. as suggested by the committee.
5. Include habitat development in the Madhav National Park.
6. The PP not submitted the actual survey map prepared by the competent agency/department, but they agreed to submit the same before further meeting.

PP has submitted vide letter dated 08/09/2023 the response of above quarries on the Parivesh Portal hence, the case was scheduled in the agenda of SEAC 682nd meeting 26/09/2023.

In this meeting the query reply was presented by the Shri Ravindra Bhatia Env. Consultant from R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. along with PP Shri Vinod Kumar Gupta , EE, Water Resources Division Shivpuri wherein PP submitted following information w.r.t. to the /project/ & querries:

- The project is planned by WRD, MP to provide irrigation & drinking water to Pohri tehsil of Shivpuri district.
- It will provide irrigation water to 8277 ha of CCA in 42 villages of Pohri tehsil of Shivpuri district.
- 2 MCM has been kept for drinking water.
- Scoping Clearance and Public Hearing is not applicable as this is a Category B2 project.
- Environment Management Plan has been prepared to minimize the impacts during construction and operation as per the requirement.

✓ <u>The Scheme envisages construction of:</u>

- A dam across Sarkula river, to create gross storage capacity of 32.985 MCM and live storage of 28.295 MCM.
- Proposed dam is 474.80 m long Dam with a maximum height of 43 m.
- Water will be lifted through a rising main of 4.848 km up to BPT and then distributed by two gravity mains of 0.9 km each.
- A total of 2.28 cumec of water will be lifted in this scheme during Rabi season only
- Water shall be delivered upto 5 ha chak, beyond which cultivators shall connect their own line and sprinkler system.

✓ The total land required for the project components and related works has been estimated to be about 332.262 ha, which constitutes of:
  - Government land: 124.35 ha
  - Private land: 69.492 ha
  - Forest land: 126.42 ha

✓ Final/Stage-II Forest Clearance for 126.42 ha forest land has been accorded by Forest Conservation Division (MoEFCC) vide letter no. 8-31/2021-FC dated 20/02/2023.

✓ For acquisition of 69.492 ha of private land, a total of 9 villages of Pohri tehsil will be affected, out of which one village Krishanganj will involve displacement of 42 families, which will be resettled. Families of other 9 villages will be losing their land due to submergence will be compensated.

<u>Response to Queries:</u>

Details of CO_2 emission & quantification from all sources and their management plan

During the construction period, about 5.5 tonnes of CO_2 emission is expected per day (2000 tonnes/annum) from the operation of construction machinery and equipment including increased vehicular movement and additional 20,460 tonne from cement/concrete.

Following management measures are proposed:

- Minimise the use of diesel-based equipment and machinery. This can be achieved by meticulous planning of the usage of equipment and completely avoiding idle running of equipment. Careful planning can substantially reduce the equipment usage for achieving the same quantity of work.

- Proper maintenance of the machinery, equipment and vehicles. Maintenance of the equipment and machinery is critical as it reduces the fuel consumption. Lesser the fuel consumption, lesser will be the emissions. If all the vehicle including trucks, dumpers, dozers, pickups, etc are serviced regularly, engines are maintained and synthetic oil is used in engines, fuel consumption get reduced resulting in lower emissions.

- Planning of transportation routes. Construction work at site substantially increase the movement of vehicles especially heavy vehicles for transportation of raw material to site, movement of material from storage area to construction sites locally, muck movement to disposal sites, etc. careful planning of the transport route and optimum utilization of vehicles carrying capacity can reduce the number of truck trips and hence fuel consumption.

- In addition, plantation over 12.74 ha is proposed, which will have mitigate the impact of carbon emissions.

Study report regarding seepage of water toward the residential area outside of the submergence due to capillary action to avoid any water logging

Fluctuation of water from FRL to lower levels in Sarkula reservoir will occur gradually, this being an irrigation project; hence there are lesser chances of soil slippage or instability in the adjacent areas. This phenomenon is associated with a process known as "pore pressure-induced slope failure." Chances of its occurrence are more if this change in water level is sudden, or occurs every day like in a hydro power project.

Measures undertaken to mitigate impacts of seepage are:

- Planting vegetation on slopes will help stabilize the soil by reducing erosion, increasing root cohesion, and absorbing excess water. Hence, greenbelt plan has been proposed
- Providing impervious subsurface grout curtains from FRL to 10 m below FRL adjacent to habitation periphery which will arrest phreatic line to reach sub-soils below habitations thus arresting soil slippage.
- Further, it is proposed to undertake a seepage assessment study to understand the impact of seepage of water toward the residential area outside of the submergence due to capillary action and management measures thereof.
- An affidavit has been submitted in this regard.
- This study will be undertaken through a Government institute and all the recommendations will be implemented.
- It is further committed that study will be initiated immediately, work will be awarded within 6 months of issue of Environment Clearance and completed well before impoundment.
- All the recommendations of the study will be implemented before impoundment. An undertaking in this regard is submitted.

Location –wise plantation scheme with species and numbers.

- Plantation is proposed to be carried out at the reservoir periphery.
- FRL -4m belt of plantation will be developed along the periphery of the reservoir, where no trees exist at present. Existing trees between FRl -4m will not be removed.
- Location wise list is provided as following:

Location/Village Name	Area (Ha)	Number of Trees	Plantation cost (I year) Rs. in lakh	Maintenance cost (II and III year) Rs. in lakh	Species proposed
Pohri	8.67	3468	4.32	2.54	Aam, Sajad, Amaltas, Sisso, Sagaon, Neem, Jamun, Anola, Bel, Mahua, Bamboo, Khas, Lemon
Machakhurd	1.66	664	0.83	0.49	
Bhojpura	1.15	460	0.57	0.34	
Piparghat	1.26	504	0.63	0.37	
TOTAL	**12.74**	**5096**	**6.34**	**3.73**	
			10.07		

A total of 12.74 ha of green belt will be developed. Approximately 5096 trees will be planted, mainly on the periphery of the reservoir. Budget has been prepared for plantation in I year and maintenance for 2 years as Rs. 10.07 lakh.

Lemon trees will be planted in proximity to dam in rows which will be 1 m apart; in between Khas will be planted at a distance of 1 ft each.Away from dam in submergence area, along the periphery of reservoir in proximity to habitation; Aam, Jamun, Arjan, Mulberry, Karanj, etc. along with other local species available with forest department will be planted.

Soil characteristics from two locations along the periphery of reservoir have been analysed and provided.

Revised CER include proposal as library development in the primary/ middle / higher schools at villages in the nearby project area (include name of schools), and development or equipped nearby PHC with medical instruments &also include proposal for Aganwadies development wrt basic facilities etc.as suggested by the committee.

During the field survey, it was observed that there is need to improve the education facilities and medical facilities in the project affected villages. In addition, during the appraisal of the project in SEAC meeting held on 21/07/2023, SEAC has made certain suggestions for Local Area Development, keeping in view the development requirements of schools and medical institutions.

Based on the inputs from SEAC, schools, anganwadis and hospitals have been identified and budgeted for CER/LAD activities as part of the development of Sarkula Medium Irrigation Project. A budget of Rs. 65.00 lakh is estimated to implement the activities as given below.

- Out of which Rs. 18.00 lakhs has been kept for education.
- Rs. 22.00 lakh for healthcare
- Rs. 15.00 lakh for habitat development in Madhav National Park
- Rs. 5.00 lakh for skill development
- Rs. 5.00 lakh for distribution of fruit bearing species to locals

Further, record will be maintained for all CER activities and submitted to SEIAA along with 6 monthly compliance report.A record will be kept for all distributions of fruit bearing species. The record will contain name of the person, address, contact number and species given with numbers. The record will be submitted to SEIAA as part of 6 monthly report.

To submitted the actual survey map prepared by the competent agency/department

Actual survey map was submitted/ enclosed in the PPT.

During presentation, PP committed that, if any temple of archaeological importance is falling within the project area; it will not be relocated without the permission of the competent authority and alternate provisions will be provided if any important places such as crematoria/public utilities falling within the project area. PP also confirmed that no grazing land is coming under submergence as per present status, and made commitment that if any major Grazing land comes under the submergence, WRD will develop Grazing land in the nearby revenue land in consultation with the forest department. Similarly, if any public property (Burial Ground, Grave yard, Chabutra, etc) comes under submergence, WRD will do the restoration work.

The submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Prior Environment Clearance for Sarkula Medium Irrigation Project located at located at Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP), [Culturable Command Area – 8277 Ha.] Category: 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects with following conditions:

I. Statutory compliance:

i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area)

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee

v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC.

vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those power projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore.

II. Air quality monitoring and preservation

i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.

ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.

iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.

ii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.

iii. Before impounding of the water, Cofferdams for both at the upstream and downstream are to be decommissioned as per EIA/EMP report so that once the project is commissioned; cofferdam should not create any adverse impact on water environment including the rock mass and muck used for the Cofferdam.

iv. As the reservoir will be acting as balancing reservoir and there would be fluctuation of water level during peaking period, efforts be made to reduce impact on aquatic life including impacts during spawning period both at the upstream and downstream of the project.

v. Water depth sensors shall be installed at suitable locations to monitor e-flow. Hourly data to be collected and converted to discharge data. The Gauge and Discharge data in the form of Excel Sheet be submitted to the Regional Office, MoEF&CC and to the CWC on weekly basis

vi. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.

vii. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The

Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

IV. Noise monitoring and prevention

i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Catchment Area Treatment Plan

i. Catchment Area Treatment (CAT) Plan as proposed in the EIA/EMP report shall be implemented in consultation with the State Forest Department and shall be implemented in synchronization with the construction of the project.

VI. Waste management

i. Muck disposal (15.74 lakh cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Belt, EMP Cost, Fisheries and Wildlife Management

i. A total of 12.74 ha of green belt will be developed. Approximately 5096 trees will be planted, mainly on the periphery of the reservoir. Budget has been prepared for plantation in I year and maintenance for 2 years as Rs. 10.07 lakh.

ii. Location wise list is provided as following:

Location/Village Name	**Area (Ha)**	**Number of Trees**	**Plantation cost (I year) Rs. in lakh**	**Maintenance cost (II and III year) Rs. in**	**Species proposed**

				lakh	
Pohri	8.67	3468	4.32	2.54	Aam, Siris (Kala,Safed), Amaltas, Sisso, Sagaon, Neem, Jamun, Anola, Bel, Mahua, Bamboo, Khas, Lemon
Machakhurd	1.66	664	0.83	0.49	
Bhojpura	1.15	460	0.57	0.34	
Piparghat	1.26	504	0.63	0.37	
TOTAL	**12.74**	**5096**	**6.34**	**3.73**	
			10.07		

iii. Based on the recommendation of Cumulative Impact Assessment and Carrying capacity study of river basin or as per the ToR conditions or minimum 15% of the average flow of four consecutive leanest months, whichever value is higher, shall be released as environmental flow.

iv. Detailed information on species composition particular to fish species from previous study/literature be inventorised and proper management plan shall be prepared for in-situ conservation in the streams, tributaries of river and the main river itself for which adequate budget provision be made and followed strictly.

v. Wildlife Conservation Plan prepared for both core and buffer zones shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.

vi. To enrich the habitat of the project site, plantation shall be raised as envisaged in the EIA/EMP report. Plantation to be developed along the periphery of the reservoir in multi-layers with local indigenous species in consultation with the local State Forest Department.

vii. Compensatory afforestation programme shall be implemented as per the plan approved, if applicable.

viii. Fish ladder/pass as envisaged in the EIA/EMP report shall be provided for migration of fishes. Regular monitoring of this facility be carried out to ensure its effectiveness.

VIII. Public hearing and Human health issues

i. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.

ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.

iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile

toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.

vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.

vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the dam failure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

IX. EMP & Corporate Environment Responsibility

i. A budgetary provision for t**otal EMP Budget Rs.** 3253.42 **lakhs .** The details are as given below:

Sl. No	Activities	Capital Cost (Rs. In lakh)	Recurring Cost (Rs. In lakh)					Total Cost (Rs. In lakh)
			Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	
1	Air Pollution Control	-	4.00	4.00	4.00	2.00	-	14.00
2	Noise Pollution Control	-	2.00	1.50	1.50	1.00	-	6.00
3	Water Pollution Control	-	4.00	4.00	4.00	2.00	-	14.00
4	Fisheries Development	25.93	-	-	-	-	-	25.93
5	Muck Management	0.00	30.00	30.00	25.00	15.00	-	100.00
6	Sanitation and Solid Waste Management	15.00	3.00	3.00	3.00	1.50	-	25.50
7	Facilities in Labour Camp/ Amenities for Workers and PPEs	29.50	8.50	9.50	9.50	4.75	-	61.75
8	Public Health	30.00	7.00	7.00	7.00	3.50	-	54.50
9	Energy Conservation Measures	17.00	8.25	8.25	8.25	5.00	-	46.75
10	Compensatory Afforestation including	2237.38	-	-	-	-	-	2237.38

	NPV*							
11	Green Belt Development Plan	6.34	1.86	1.86				10.07
12	Restoration of Construction sites	-	-	14.25	14.25	-	-	28.50
13	COVID 19 Consideration	-	4.00	3.00	3.00	-	-	10.00
14	Command Area Development Plan	32.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	47.50
15	Rehabilitation & Resettlement Plan****	298.62	-	-	-	-	-	298.62
16	Catchment Area Treatment Plan***	71.45	-	-	-	-	-	71.45
17	Disaster Management Plan	-	-	-	-	50.00	50.00	100.00
18	Local Area Development Plan	-	18.00	18.00	18.00	11.00	-	65.00
19	Environment Quality Monitoring	1.00	19.80	19.80	19.80	10.08	-	70.48
	TOTAL (Rs. In Lakh)	**2764.72**	**103.41**	**117.66**	**110.80**	**103.83**	**53.00**	**3253.42**

ii. Under CER proposal a budgetary provision of Rs. 65.0 Lakh is made to for the local area development based on the issues raised in the public hearing meetings and commitments made by the project proponent.

Focus Area	Activity	Budget (Rs.)	Start Date	Time to completion	Responsibility	Agency for Implementation
Education	• Construction of library room with provision of books for primary school children at Pohri,	18,00,000.00	To start with start of construction	one year	Executive Engineer of WRD for Sarkula project	Shikshak Palak Sangh

Focus Area	Activity	Budget (Rs.)	Start Date	Time to completion	Responsibility	Agency for Implementation
	Bagadiya, Paipargarh, Machakhurd and Bhojpur Villages • Construction of computer centre with PCs and other required infrastructure including a separate computer room at high school Pohri and Krishanganj villages • Support for teaching and learning materials in Anganwadis in Pohri, Krishanganj, Bagadiya, Paiparghar, Machakhurd, Bhojpur village • Construction and upgradation of new separate toilets for boys and girls at primary schools in Bagadiya, Paiparghar, Machakhurd, Bhojpur village primary					

Focus Area	Activity	Budget (Rs.)	Start Date	Time to completion	Responsibility	Agency for Implementation
	schools • Support for meritorious students for higher studies through scholarships					
Health Care	• Infrastructure support to improve health care facility in hospital at Pohri village • Medical/ Vaccination Camps including awareness program on health and hygiene in Pohri, Krishanganj, Sonipura, Bagadiya, Paiparghar, Machakhurd, Kohlapur, Bhojpur in every year	22,00,000.00	To start with start of construction	one year	Executive Engineer of WRD for Sarkula project	Village Wellness Centre
Habitat Development	Provision of water supply to Madhav NP through tube-well with Solar Pump	15,00,000.00	To start with start of construction	one year	Executive Engineer of WRD for Sarkula project	Filed Director , Madhav National Park, Shivpuri
	Welfare Activities in Madhav					

Focus Area	Activity	Budget (Rs.)	Start Date	Time to completion	Responsibility	Agency for Implementation
	National Park, Shivpuri					
Skill Development	Skill development for Local Youth	5,00,000.00	To start with start of construction	One year	Executive Engineer of WRD for Sarkula project	Udhyamita Vikas Kendra
Others	Distribution of fruit bearing species for nearby villagers over a period of 1 yearof project construction	5,00,000.00	To start with start of construction	One year	Executive Engineer of WRD for Sarkula project	Forestry species from forest nursery and horticulture species from horticulture nursery
Total		65,00,000.00				

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to

be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Post EIA and SIA be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.

vii. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.

viii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

X. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public, the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company

vi. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry,

the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

vii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

viii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

ix. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

x. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xi. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions

xiii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.

xiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. <u>Case No 9876/2023 CE, NVDA Lower Narmada Pojects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP) Prior Environment Clearance for</u>

Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. Total 96 villages of Kukshi Tehsil, 79 village of Tehsil Gandhwani,, District-Dhar (MP).

This is a Micro Lift Irrigation Project involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project in an area of 75,000 ha.(CCA) at 86 villages of Kukshi Tehsil & 79 villages of GandhwaniTehsil of Dhar District (MP).

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar. After Presentation ToR was recommended in the SEAC 646th Meeting dated 16th May 2023.

PP has applied for Ammendment in ToR for which PP has applied requisite form -3 . Hence, this case was scheduled in the 672nd meeting on dated 25.08.2023.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar. During presentation PP was submitted that after conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project has changed from 40.15 ha. to 251.69 ha. . PP further stated that forest area has also increased earlier it was involved 33.90 ha. now increased upto approx. 220 ha. for which F.C. clearance shall also obtained.

The Committee observed that during presentation PP / Env. Consultant was not able to shown forest area on the Google earth /map, hence committee was not able to reach any conclusion in this regard. After deliberation the committee asked PP to submit revised map showing complete revised project area passing including forest area . The committittte also asked PP to aware them regarding status of EC compliance of last 2 years with credible evidence.

The project proponent submitted clarification on 13.09.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 672nd meeting on dated 25.08.2023. Hence, the case was scheduled in the agenda of SEAC 682nd meeting 26/09/2023.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri R. S. Mandloi, Executive Engineer, NVDA, Dhar with the following details of the project:

Chronology of the project :

Actions	**Date**
Filing of TOR Application	21.04.2023
SEAC Meeting for TOR Clearance	16.05.2023
SEIAA Meeting for TOR Clearance	31.05.2023
TOR approved and received from SEIAA	06.06.2023
Revised Form 1 and letter submitted for amending the TOR	14.08.2023
SEAC Meeting for TOR Amendment	25.08.2023
ADS reply uploaded	13.09.2023

Reasons for Amendment of TOR

PP submitted that after conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project increased from 40.15 ha to 251.69 ha. All the other project features will remain unchanged.

The bifurcation of land (forest & non- forest) are as given blow:-

Land Requirement Comparison		
	As per Tor Granted	**Present**
Forest (ha)	33.9	220.44
Non-Forest (ha)	6.25	31.25
Total	**40.15**	**251.69**

Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the comnfiguration of the project:

- Updated the Non-Forest Land from 6.25 ha to 31.25 ha and Forest Land from 33.9 ha to 220.44 ha.
- As forest land is involved in the project FC stage-I to be clarified with supporting documents alongwith catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
- CAT improvement plan shall be carried out through fores department.
- Under CER activity proposal for Bagh River rejuvenation.
- In EIA report details about existing flora & fauna and their Ecological damage plan shall be discussed.
- Soil & water conservation plan shall be preapared through forest department.
- Impacts on fores due to pipilines laying in this context opinion to be taken from concerned DFO.
- PP shall be submitted the EC compliance report wrt plantation and CER activities of similar projects, along with EIA report.
- PP shall produce the compliance report of old sanctioned project of EC specially regarding plantation works & CER activities which were imposed in old cases , where EC had been issues.
-

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in 646th Meeting dated 16th May 2023.

24. <u>Case No 9808/2023 M.P. Water resources Department, O/o Engineer-in-Chief, Jal sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, (Online) Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri L.S. Jadoun, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP) . After Presentation ToR was recommended in the SEAC 638th Meeting dated 18th April 2023.

PP has applied for Ammendment in ToR for which PP has applied requisite form -3 . Hence, this case was scheduled in the 672nd meeting on dated 25.08.2023.

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri Shri L.S. Jadoun, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP), during presentation PP was submitted that after conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project has changed from 658 ha. to 1419.35 ha. . PP further stated that forest area has also increased earlier it was involved 264.0 ha. now increased upto 697.58 ha. for which F.C. clearance shall also obtained. All the other project features will remain unchanged

The Committee observed that during presentation PP / Env. Consultant was not able to shown forest area on the Google earth /map, hence committee was not able to reach any conclusion in this regard. After deliberation the committee asked PP to submit revised map showing complete revised project area passing including forest area . The committtte also

asked PP to aware them regarding status of EC compliance of last 2 years with credible evidence.

The project proponent submitted clarification on 08.09.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 672nd meeting on dated 25.08.2023. Hence, the case was scheduled in the agenda of SEAC 682nd meeting 26/09/2023.
The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP with PP Shri L.S. Jadoun, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP) After Presentation ToR was recommended in the SEAC 638th Meeting dated 06th April 2023.

Chronology of the project :

Actions	**Date**
Filing of TOR Application	05.04.2023
SEAC Meeting for TOR Clearance	18.04.2023
SEIAA Meeting for TOR Clearance	04.05.2023
TOR approved and received from SEIAA	18.05.2023
Revised Form 1 and letter submitted for amending the TOR	14.08.2023
SEAC Meeting for TOR Amendment	25.08.2023
ADS reply uploaded	08.09.2023

<u>Reasons for Amendment of TOR</u>

PP submitted that a fter conducting detailed survey and investigation, total land requirement for the proposed project increased from 658.0 ha to 1419.35 ha. All the other project features will remain unchanged.

The bifurcation of land (forest & non- forest) are as given blow:-

Land Requirement Comparison (Ha)		
	As per Tor Granted	Present
Forest (ha)	264.0	697.58
Non-Forest (ha)	394.0	721.77
Total	658.0	1419.35

Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the comnfiguration of the project:

- Updated the Non-Forest Land from 394.0 ha to 721.77 ha and Forest Land from 264.0 ha to 697.58.44 ha.
- As forest land is involved in the project FC stage-I to be clarified with supporting documents alongwith catchment area improvement and natural drainage protection plan shall be discussed in the EIA report.
- CAT improvement plan shall be carried out through fores department.
- Under CER activity proposal for Bagh River rejuvenation.
- In EIA report details about existing flora & fauna and their Ecological damage plan shall be discussed.
- Soil & water conservation plan shall be preapared through forest department.
- Impacts on fores due to pipilines laying in this context opinion to be taken from concerned DFO.
- PP shall be submitted the EC compliance report wrt plantation and CER activities of similar projects, along with EIA report.
- PP shall produce the compliance report of old sanctioned project of EC specially regarding plantation works & CER activities which were imposed in old cases , where EC had been issues.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 638th Meeting dated 06th April 2023.

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

• संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला छिन्दवाडा

समिति की पूर्व बैठक में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट छिन्दवाडा रेत खनिज की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज समिति के समक्ष आज 682वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2023 को खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार द्वारा प्रस्तुत की गई । श्री परमार द्वारा बताया कि पूर्व में सेक की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 को रिप्लेनिश स्टडी तालिका के पेज नं.–43 एवं 44 के सरल क्रमांक–24 एवं 26 में उल्लेखित वारादेवीखापा एवं मालेगांव की खदानों की रिप्लेनिश मात्रा एवं वर्षवार विवरण संतोषजनक न होने के कारण इन दोनों खदानों क्रमशः वारादेवीखापा एवं मालेगांव को छोड़कर, रिप्लेनिश स्टडी तालिका **पेज नं.–43 एवं 44** में उल्लेखित शेष अन्य खदानों के विवरण संतोषजनक होने से अनुमोदन हेतु सिया को प्रेषित किया गया था।
उपरोक्त संबंध में सरल क्रमांक 24 एंव 26 मे उल्लेखित रेत खदानो का संदर्भित निर्देशानुसार संयुक्त निरीक्षण वन, राजस्व, खनिज दल की उपस्थिति में किया जाकर निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

रेत खदान विवरण	तहसील	निक्षेप की लम्बाई x चौडाई x गहराई (मी0)	निक्षेपित रेत मात्रा (घ0मी0)
बारादेवीखापा ख0क0 43 रकबा 9.757 हे0	सौंसर	लंबाई– 1037.98 चौडाई– 94.00 मोटाई– 02.00	195140
मालेगांव ख0क0 01, 167, 210 रकबा 8.70 हे0	सौंसर	लंबाई– 402.78 चौडाई– 216.00 मोटाई– 03.00	261000

उपरोक्तानुसार खनिज रेत के भौतिक सत्यापन वास्ते किये गये संयुक्त निरीक्षण अनुसार जांच तिथि को रेत खदान बारादेवीखापा में खनिज मात्रा 195140 घ0मी0 एंव रेत खदान मालेगांव में खनिज मात्रा 261000 घ0मी0 होना पाया गया।

परीक्षण उपरांत समिति ने पाया की खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार द्वारा प्रस्तुत की गई की उक्त खदानों के भौतिक सत्यापन वास्ते किये गये संयुक्त निरीक्षण अनुसार जांच तिथि को रेत खदान बारादेवीखापा में खनिज मात्रा 195140 घ0मी0 एंव रेत खदान मालेगांव में खनिज मात्रा 261000 घ0मी0 जो कि गठित उपसंभागीय स्तरीय समिति से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है, अतः **पेज नं. –43 एवं 44 के सरल कमांक–24 एवं 26 में उल्लेखित वारादेवीखापा एवं मालेगांव की खदानों की रिप्लेनिश मात्रा** को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है ।

• संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला डिण्डौरी

समिति **की पूर्व बैठक में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डिण्डौरी रेत खनिज की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज समिति के समक्ष आज 682वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2023 को खनिज अधिकारी श्री शशांक शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गई । श्री शुक्ला द्वारा बताया कि** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2023 के अनुसार जिला डिण्डौरी के बी–2 श्रेणी की रेत खदान मूसामुण्डी रैयत–2 एवं दिवारी माल–3 के स्वीकृत खसरे नक्शे के अनुसार नवीन अक्षांश एवं देशांश की वास्तविक जानकारी एवं आवश्यकतानुसार सुधार कर प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु गठित उपसंभागीय स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.09.2023 में की गई अनुशंसा के तारतम्य में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृ.क्र. 18 एवं 68 में रेत खदान मूसामुण्डी रैयत–2 एवं दिवारी माल–3 की अतिरिक्त नवीन अक्षांश एवं देशांश अद्यतन कर लिया गया है।

समिति ने **खनिज अधिकारी श्री शशांक शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गई की उक्त** मूसामुण्डी रैयत–2 एवं दिवारी माल–3 के स्वीकृत खसरे नक्शे के अनुसार नवीन अक्षांश एवं देशांश की वास्तविक जानकारी **को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है ।**

- **पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तो के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तो का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तो का परिपालन में देखना होगा।**
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river…….bank” shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

• ऐसे प्रकरण जिसमें लीज ट्रांसफर हुई है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया पूर्व में डिया के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में अर्थात डिया से प्रदाय की गई ई.सी के शर्तो के बारे में स्पष्टता नहीं है कि जिन्हे नई खदान स्वीकृत हुई है, उन्हे ई.सी की शर्तो का पालन करना है या नहीं ? किसको करना है यह स्प्ष्ट नहीं है। और न ही खदान की भू–स्वामी की सहमति स्पष्ट है

इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि डिया के प्रकरणों में फार्म–1 में Re-appraisal से बचने के लिये ऐसे नई खदान के रूप में कई प्रकरण सामने आ सकते है अतः सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

<u>Annexure- 'D'</u>

<u>General conditions applicable for the granting of TOR</u>

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

	तीन वर्षो तक ।	
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।